

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी



पत्रांक:- 1461 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, दिसम्बर 14, 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.46 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। P.N- FP/UK/ ROAD/143491/2021

सन्दर्भ-

प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग का पत्रांक 1885/12-1 दिनांक 11.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग एवं प्रभागीय कार्यालय द्वारा ऑनलाईन निम्नप्रकार किया गया है-

क्र.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	The proposal alignment not connecting Kola Malla and Pultanda village properly. Even, the alternate seems more justified than proposed alignment. The State Govt. may propose the proper alignment which will connect the village.	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन (गढ़वाल) ने अपनी पत्र सं० 3180/21सी, दिनांक 06.12.2021 से प्रभागीय कार्यालय को अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरेखण में हेयर पिन बैण्डों की संख्या 3 है जबकि वैकल्पिक संरेखण 2 में हेयर पिन बैण्डों की संख्या 7 है एवं वैकल्पिक संरेखण का ग्रेड अधिक स्टीप है, जो तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है एवं ग्रामवासियों की सहमति प्रस्तावित संरेखण हेतु दी गई है। शासनादेश 4.00 किमी० लम्बाई हेतु ही प्राप्त होने के कारण मोटर मार्ग ग्राम पुलटण्डा के खेतों में ग्राम से 400.00 मी० की दूरी तक पहुंचता है। जिसका भविष्य में विस्तार किया जाना है। (वैकल्पिक व स्वीकृत संरेखण का तुलनान्तमक विवरण संलग्न)
2	Administrative approval is submitted for the road from Khandoliya Khet to Kaula Pultanda but the location of Kaula Pultanda is not marked in the KML file. State Govt. is requested to mark the location of village Pultanda in the KML file of the proposed road.	प्रस्तावक विभाग ने अपने उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम कौला मल्ला, कौला तल्ला व पुलटण्डा अलग-अलग ग्राम है। जिनके के०एम०एल० फाईल में काले रंग की लाईन से पॉलीगन में दिखाया गया है।
3	It is seen that the construction of the road beyond point No. 15 as provided in the digital map is not justifiable. State Govt. may submit the justification for the construction of the road beyond point No. 15 of the digital map.	प्रस्तावक विभाग ने अपने उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि डिजिटल मैप में दिखाया गया बिन्दु 15 वैकल्पिक संरेखण का अन्तिम बिन्दु है। जिसमें बिन्दु सं० 13 व 14 में 6वाँ व 7वाँ हेयर पिन बैण्ड है। तकनीकी दृष्टि से बैण्डों की संख्या कम करने के लिये प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण में मोटर मार्ग को बिन्दु सं० 15 से आगे बढ़ाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण में बिन्दु सं० 15 तीसरा हेयर पिन बैण्ड है व स्वीकृत संरेखण बिन्दु सं० 19 में समाप्त हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति 4.00 किमी० लम्बाई हेतु ही प्राप्त होने के कारण मार्ग पुलटण्डा से 400 मी० पहले ही समाप्त हो रहा है।

4	The FRA of DM submitted/uploaded for non-linear project. State Govt. may submit/upload the FRA of DM in the format for linear project. However, this may be submitted before the issuing of Stage-II approval.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव Form-A के पार्ट-1 के ए-1 के vi में Linear अपलोड किया गया है।
5	It is seen from the land schedule that the width is taken as 9 m. State Govt. may clarify whether the tree counting is done in 7m of 9m. State Govt. is also requested to provide the details of trees actually required to be felled.	पेड़ों की गणना 9.00 मीटर चौड़ाई में की गई है पेड़ों के पातन की वास्तविक संख्या 73 है।
6	As per district profile details at para 14, CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be clarified suitably.	District Profile की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक:- यथोपरि 3 प्रतियों में।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।